17.8.21 पत्रावली में वकील प्रार्थी उप0। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 31.8.21 को पेश हो।

31.8.21 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मद सं0 1, 2, 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम भूदा पुत्र भानाराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है, इसी तरह मद सं0 4 में वर्णित वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम पुत्र पन्ना दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का सही नाम भूदाराम पुत्र पन्ना है। जमाबन्दी संवत 2041—2044 तक वादग्रस्त आराजी में जवाराराम, भूदाराम पुत्रगण पन्ना हिस्सा 1/4 अंकित है, जमाबन्दी संवत 2053—56 तक वादग्रस्त आराज़ी में जवाराराम, भूदाराम पुत्रगण पन्ना हिस्सा 1/4 अंकित है, जमाबन्दी संवत 2055—2058 तक वादग्रस्त आराजी में भूदाराम पुत्र पन्ना हिस्सा 1/8 अंकित है, परन्तु जमाबन्दी संवत 2059—61 की जमाबन्दी बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम भूराराम पुत्र पन्ना, भूदा पुत्र भानाराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2041—44, 2053—56, पहचान पत्र की प्रतियां पेश किये जिनमें प्रार्थी का सही नाम है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का, श्रवण कुमार, सुरेश, रामदेव सैनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम भूराराम पुत्र पन्ना, भूदा पुत्र भानाराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के पिता का सही नाम भूदाराम पुत्र पन्ना है की पुष्टि संवत जमाबन्दी संवत 2041—44, 2053—56, पहचान पत्र से होती है। प्रार्थी के स्वयं के, एवं गवाहान श्रवण कुमार, सुरेश, रामदेव सैनी के शपथ पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
जगतसिंह नगर	खाता सं0 166	भूदा पुत्र भानाराम	<u>भूदाराम पुत्र पन्ना</u>
जगतसिंह नगर	खाता सं0 53	भूदा पुत्र भानाराम	
जगतसिंह नगर	खाता सं0 54	भूदा पुत्र भानाराम	
जगतसिंह नगर	खाता सं0 102	भूराराम पुत्र पन्ना	

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)